न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2019

बउनवान

कमल सोनी आयु 50 साल पुत्र श्री रामकुंवार जाति–स्वर्णकार
निवासी–नाकोडा कॉलोनी, बारां तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– अनिल पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
2– मनोहर पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
3– रतनदेवी पत्नी स्व.श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
4– सुरेश पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
5– हरिबाबू पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति–नन्दवाना निवासी–नलका
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट्स)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 486 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री राजेन्द्रकुमार गोस्वामी,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5)**

निर्णय दिनांक– 25.09.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके माल तलावडा पटवार हल्का बारां तहसील–बारां में आराजी खाता संख्या 47 पुराना 40 में वर्णित खसरा नम्बर 129 रकबा 5.39 है0, खसरा नं0 130 रकबा 6.13 है0, खसरा नं0 156 रकबा 3.87 है0 कुल किता 3 रकबा 15.39 हैक्टयर बखाता जुगलकिशोर पुत्र श्री राधाबल्लभ जाति–नन्दवाना निवासी–नलका तहसील–बारां के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो वर्तमान में रेस्पों0 क्रम 1 ता 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

2– उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 156 रकबा 3.87 है0 में से रकबा 0.40 है0 पश्चिमी आराजी (कोठे की तरफ वाली) को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.5.2018 को रेस्पों क्रम 1 ता 5 के पिता खातेदार श्री जुगलकिशोर पुत्र श्री राधाबल्लभ जाति–नन्दवाना नि. नलका से अपीलांट ने कीमतन खरीद किया था। अपीलांट ने उक्त आराजी क्रय करने के बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.5.2018 की पालना में रेस्पो0 क्रम–6 के यहॉ क्रयशुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया था। किन्तु रेस्पो. ने अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल नहीं खोलते हुये रेस्पों क्रमांक 1 ता 5 के नाम खोल दिया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योकि रेस्पों0 क्रमांक 1 ता 5 के पिता जुगलकिशोर द्वारा उक्त वर्णित आराजियात् खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 हैक्टर में से रकबा 0.40 हैक्टर पश्चिमी आराजी (कोठे की तरफ वाली) को जरिये रजिस्टर्ड

विक्रयपत्र दिनांक 30.5.2018 से अपीलांट को कीमतन बेचान किया जा चुका था। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की एक प्रति रेस्पोडेंट क्रम–6 के पास पहुॅच जाने के बाद भी बिना जॉच पडताल किये, रेस्पोडेंट क्रम–6 तहसीलदार बारां द्वारा अपीलांट द्वारा खरीदशुदा आराजीयात् खसरा नम्बर 156 रकबा 0.40 है0 पश्चिमी आराजी(कोठे की तरफ वाली) पर अपीलांट के नाम इन्तकाल ना खोलते हुये सम्पूर्ण आराजियात् का इन्तकाल रेस्पोंडेट क्रम 1 ता 5 के नाम गलत खोला गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट क्रम–6 द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 486 दिनांक 10.04.2019 निरस्त किया जाकर, अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2018 से खरीदशुदा आराजियात् खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 हैक्टयर में से रकबा 0.40 है0 पश्चिमी आराजी (कोठे की तरफ वाली) पर अपीलांट के नाम इन्तकाल खोला जाकर, राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स क्रम 1 ता 5 की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खातेदार श्री जुगलकिशोर पुत्र राधाबल्लभ जाति–नन्दवाना के खातेदारी के खाता सं0 47 में आराजी ख0नं0 129 रकबा 5.39 है0, ख0नं0 130 रकबा 6.13 है0, ख0नं0 156 रकबा 3.87 है0 कुल रकबा 15.39 है0 दर्ज है। इसमें से अपीलांट ने खातेदार जुगलकिशोर से आराजी ख0नं0 156 रकबा 3.87 है0 में से 0.40 है0 पश्चिमी ओर की आराजी(कोठे की तरफ वाली) कीमतन 25,00,000/–लाख रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2018 को खरीद की गयी थी। खरीद पश्चात् से अपीलांट क्रयशुदा आराजी पर काबिज है। इस क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को विक्रय पत्र की प्रति मय प्रार्थनापत्र पेश की गयी थी तथा उप पंजीयन कार्यालय से भी प्रति रेस्पों0 क्रम–6 तहसीलदार, बारां को सीधे हीं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु भिजवायी गयी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल नहीं खोलकर, खातेदार जुगलकिशोर की मृत्यु होने पर, वरिसान् के नाम सम्पूर्ण आराजी का विरासतन फौती इन्तकाल संख्या 486 दिनांक 4.4.2019 वाके ग्राम तलावडा तस्दीक कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल तस्दीक करने में घोर लापरवाहीं की गयी है। अपीलांट अपनी क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करने का कानूनन अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं 486 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा निरस्त किया जाकर, क्रयशुदा आराजी का इन्तकाल अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन किया।

5– इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का समर्थन व्यक्त करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट्स के पिता श्री जुगलकिशोर जी ने

अपने खातेदारी की आराजी में से खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 में से आराजी 0.40 है0 पश्चिमी तरफ की, अपीलांट को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान की गयी है। यदि हमारे खातेदारी की आराजी में से बेचान की गयी आराजी 0.40 है0 का इन्तकाल रेस्पों0 के पक्ष में दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है।

6— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि खातेदार जुगलकिशोर पुत्र राधाबल्लभ जाति—नन्दवाना सा.नलका के खाता सख्या 47 में आराजियात् खसरा नम्बर 129 रकबा 5.39 है0, खसरा नं0 130 रकबा 6.13 है0, खसरा नं0 156 रकबा 3.87 है0 कुल किता 3 रकबा 15.39 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें से खातेदार जुगलकिशोर द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 3.87 हैक्टयर में से 0.40 है0 पश्चिमी(कोठे की तरफ वाली) आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2018 को अपीलांट कमल सोनी को बेचान किया गया है। किन्तु इस विक्रय पत्र का रेस्पोडेंट क्रम—6 तहसीलदार, बारां द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं कर, खातेदार जुगलकिशोर की मृत्यु होने पर, वर्णित समस्त आराजी का विरासतन वरिसान् रेस्पोंडेंट क्रम 1 ता 5 के पक्ष में फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है। जबकि खातेदार द्वारा आराजी ख0नं0 156 रकबा 3.87 है0 में से 0.40 है0 पश्चिमी ओर की तरफ का विधिवत बेचान अपीलांट के पक्ष में किया जाना प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं कर, विधिवत कानूनी भूल की गयी है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 486 दिनांक 10.04.2019 वाके ग्राम तलावडा तहसील—बारां निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि बेयनामा एवं समस्त अन्य दस्तावेजात् आदि का विस्तृत अध्ययन कर तथा सभी प्रभावित पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विधिक प्रावधानो के अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.10.24 11:49:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: